बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः–यो01/स्था012–03/2011 3247 /यो0वि0, पटना दिनांक 24.06.2016

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल योजना एवं विकास विभाग के अधीन बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा का गठन, उसमें भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ–**

   (1) यह नियमावली "बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016" कहलायेगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य होगा।

   (3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**–इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (1) **"नियमावली"** से अभिप्रेत है बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016;

   (2) **"सेवा"** से अभिप्रेत है बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा;

   (3) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कार्यरत बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा में नियुक्त/प्रोन्नत अभियंता ;

   (4) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

   (5) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;

   (6) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;

   (7) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल ;

   (8) **"कोटि"** से अभिप्रेत है, नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोटि ;

   (9) **"नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग ;

   (10) **"विभाग"** से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग ;

(11) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि

3. **सेवा/संवर्ग की संरचना –**

(1) इस सेवा के कोटि पद तथा पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होंगे :–

क्र0सं0	कोटि का नाम	पद सोपान	सेवा/पद का वर्गीकरण	स्तर
1	2	3	4	5
1.	सहायक अभियंता	मूल कोटि	समूह 'ख'	राजपत्रित
2.	कार्यपालक अभियंता	प्रथम प्रोन्नत पद	समूह 'क'	राजपत्रित
3.	अधीक्षण अभियंता	द्वितीय प्रोन्नत पद	समूह 'क'	राजपत्रित
4.	मुख्य अभियंता	तृतीय प्रोन्नत पद	समूह 'क'	राजपत्रित
5	अभियंता प्रमुख	चतुर्थ प्रोन्नत पद	समूह 'क'	राजपत्रित

2. (i) सेवा के किसी पद के वेतन संरचना का राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर वेतन पुनरीक्षण/संशोधन में स्वतः वेतन पुनरीक्षित/संशोधित समझा जायेगा।

(ii) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति के आधार पर समायोजित कार्यरत व्यक्ति इस सवंर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

(iii) इस सवंर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय होंगे।

4. **संवर्ग बल**:– सेवा बल के प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी नियत तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

5. **पद सृजन**:– सेवा में किसी कोटि के अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

6. **शैक्षणिक अर्हता**:–

(क) सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभियंत्रण (सिविल) की डिग्री अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समय–समय पर घोषित समतुल्य डिग्री होगी।

(ख) **उम्र सीमा**: भर्त्ती के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय।

(ग) **रिक्ति की अधियाचनाः** नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की अधियाचना की गणना कर 30 अप्रैल तक आयोग को भेज देगा।

7. **आरक्षण**: नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण संबंधी नीति/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

8. **नियुक्ति :**

(क) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंता (मूल कोटि) के कुल स्वीकृत बल का 62 प्रतिशत पद पर सीधी भर्त्ती आयोग की अनुशंसा पर मेधा सूची के सफल उम्मीदवारों से की जायेगी। आयोग की अनुशंसित सूची (पैनल) विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।

(ख) मूल कोटि के 10 प्रतिशत पद कनीय अभियंता, जिनकी नियमित न्यूनतम सेवा पांच वर्ष पूरी हो चुकी हों तथा इसके साथ ए0एम0आई0ई0 (AMIE) या समकक्ष अभियंत्रण स्नातक की डिग्री प्राप्त हो, से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ग) मूल कोटि के 28 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

9. **वरीयता :**

(क) नियत तिथि से पूर्व किसी कोटि में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता, उस तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार, विनियमित की जायेगी। परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस तिथि के पूर्व विशिष्टतः अवधारित नहीं की गयी हो तो उनकी वरीयता का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) किसी कोटि में स्वतः सम्मिलित सभी कर्मी उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जिनकी उस कोटि में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हो।

(ग) आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंता की आपसी वरीयता आयोग के परीक्षाफल में अवधारित योग्यता क्रम के अनुसार होगी। किसी वर्ष के सफल उम्मीदवार यदि भिन्न–भिन्न तिथियों को नियुक्त किये जाते हैं तो उसकी वरीयता उस वर्ष के सफल उम्मीदवारों के मेधा सूची के योग्यता क्रम के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(घ) उच्चतर पदों पर वरीयता निर्धारण प्रोन्नति के फलस्वरूप ठीक उसके निचले पदों की वरीयता क्रमानुसार होगी।

(ड़) जिन अभ्यर्थियों की जिनकी अनुशंसा आयोग से प्राप्त हुई हो किन्तु उनका मेधाक्रम संसूचित नहीं हो, आपसी वरीयता शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और यदि शैक्षणिक योग्यता समान हो तो उम्र की तिथि के आधार पर, निर्धारित की जायेगी किन्तु एक ही समव्यवहार और एक

ही वर्ष के दौरान अनुशंसित/नियुक्त मेधा क्रमांक वाले अभ्यर्थियों के अंत में इनकी वरीयता निर्धारित होगी।

(च) विभाग द्वारा प्रत्येक कोटि के पदों का वरीयता कोटि क्रमांक सूची अलग–अलग संधारित की जायेगी।

10. **परीक्ष्यमान अवधि :** सहायक अभियंता के पद पर योगदान (नियुक्ति) की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान की अवधि दो वर्षों की होगी। परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा, कार्यकलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने पर ही उनकी सेवा संपुष्ट की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर किसी सहायक अभियंता के परीक्ष्यमान अवधि को महत्तम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तथापित परीक्ष्यमान अवधि में भी कार्यकलाप संतोषजनक नही रहने या गंभीर आरोप रहने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।

11. **विभागीय परीक्षा की अनिवार्यता:**

(i) सीधे नियुक्त सदस्य को राजस्व पर्षद् द्वारा आयोजित प्रासंगिक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा।

(ii) सीधे नियुक्त सदस्य को आगे की प्रोन्नति पर विचार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वे राजस्व पर्षद् द्वारा आयोजित प्रासंगिक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर लेते हैं।

(iii) विभागीय परीक्षा में उर्त्तीणता की मान्यता–विभागीय परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन को ही उर्त्तीणता प्राप्त करने पर परीक्षोत्तीर्ण होने की तिथि मानी जायेगी।

12. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम :** विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद की बिहार केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जायेगी।

(1) परीक्षा के पाठ्यक्रम निम्नांकित होंगे। हिन्दी के लिखित एवं मौखिक परीक्षा में उत्तीर्णता एक ही समय में प्राप्त करना होगा।

क्रमांक	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	2	3	4	5
(क) हिन्दी	(लिखित परीक्षा)	200	120	3 घंटे
	(क) टिप्पण (ख) प्रारूपण (ग) अनुवाद–(हिन्दी से अंग्रेजी 40 और अंग्रेजी से	50 50 80		

	हिन्दी 40) (घ) वाक्यों का शुद्धिकरण	20		
	लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले पदाधिकारी निम्न–स्तर से और 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले पदाधिकारी उच्च–स्तर से उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे।			
(ख) हिन्दी	(मौखिक परीक्षा)	100	50	राजस्व पर्षद् द्वारा
	(क) सामान्य विषय पर वार्त्ता (ख) सामान्यतः व्यवहार में आने वाले तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों की जानकारी की जाँच। (ग) हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्तलिपि का पाठ एवं उनके क्रमशः अंग्रेजी और हिन्दी में मौखिक अनुवाद।	40 30 30		

(2) लेखा :– विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जायेगी, जिसका पाठ्यक्रम निम्नांकित होंगे। (क) लेखा (पुस्तक रहित) (ख) लेखा (पुस्तक सहित) दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना होगा।

क्रमांक	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	2	3	4	5
प्रथम पत्र	लेखा (पुस्तक रहित)	100	60	1.30 घंटा
	(i) An Introduction to Indian Govt. Accounts and Audit. (Second Edition) Published in 1940 under the authority of the Auditor General of India. Chapter 6, 7, 8, 9 (Paragraphs 138 to 164, 170. 179, 187 and 192 only 10, 11, 13 to 19 and 27.) (ii) The Bihar Treasury Code, Vol. 1 & Chapter I to IV and Chapter V (Second I, II and III only)			
द्वितीय पत्र	लेखा (पुस्तक सहित)	100	60	1.30 घंटा
	(i) The Bihar Service Code Chapters VI (Section I to VII only) and VII. (ii) Bihar Treasury Code, Vol. 1 (iii) Bihar T.A. Rules. (iv) Bihar Pension Rules, Chapter III, VIII (Section 1), X, XI (Section I and II) and XII (v) Bihar Financial Rules.			

(3) विधि :–

क्रमांक	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	2	3	4	5
विधि (Method)	लिखित (पुस्तक सहित)	200	120	3 घंटे
	(i) P.W.D Code (ii) Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) (iii) Bihar Right to Information Rules, 2006 (Amendment) Rules, 2009 (iv) Bihar Right to Public Service Act, 2011 (v) बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (vi) Bihar Government Servent Conduct Rules, 1976 (Amendment Rules, 2011 (vii) बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (तृतीय संशोधन, 2010 सहित) (viii) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की, योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित निर्माण संबंधी योजनाएँ			

13. **सेवा संपुष्टि** : परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीणता प्राप्त होने पर सेवा सम्पुष्ट किया जायेगा।

14. **वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का संधारण** : सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति हेतु उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ दो प्रतियों में अभिलिखित होगी, जिसे नियंत्री विभाग को संधारण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

15. **प्रोन्नति का पद सोपान निम्नानुसार होगा :**

(क) सहायक अभियंता पद से कार्यपालक अभियंता के पद पर।

(ख) कार्यपालक अभियंता पद से अधीक्षण अभियंता के पद पर।

(ग) अधीक्षण अभियंता पद से मुख्य अभियंता के पद पर।

(घ) मुख्य अभियंता पद से अभियंता प्रमुख के पद पर।

16. **प्रोन्नति के लिए चयन का मापदण्ड** :– प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदण्ड वरीयता–सह–योग्यता का सिद्धान्त होगा।

17. **कालावधिः–** उच्चतर किसी कोटि में प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

18. **प्रोन्नति हेतु चयन की प्रक्रियाः** प्रोन्नति के लिए चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा। समिति विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, कालावधि, आरोप, कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं स्वच्छता प्रमाण पत्रों आदि के पूर्ण समीक्षोपरान्त उपयुक्त सदस्यों की अद्यतन वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार उपलब्ध रिक्तियों के दो गुने की सूची पर विचार करेगी।

समिति की अनुशंसा सूची प्रोन्नति के निमित एक वर्ष तक मान्य होगा।

19. **विभागीय प्रोन्नति समिति** : सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता एवं मुख्य अभियंता से अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

20. **प्रशासनिक नियंत्रण** :

(क) सेवा के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग, प्रधान सचिव/सचिव योजना एवं विकास विभाग होगा, जो सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(ख) सेवा के नये पदों के पद सृजन/सभी कोटि के पदों पर नियुक्ति/सभी कोटि के पदों पर प्रोन्नति/स्थानांतरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति आदि के मामले में सरकार स्तर से अधिसूचना में संधारित किये जायेंगे एवं इसके लिये विभाग सक्षम प्राधिकार होंगे।

21. **प्रकीर्ण विषयः–**

इस नियमावली के द्वारा की गयी व्यवस्था के सिवाय सेवा की किसी कोटि में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अंतर्गत वेतन का निर्धारण भी है), भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें, तत्समय उस प्रयोजनार्थ प्रवृत राज्य के सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगी। अवसरानुकूल इस नियमावली के विभिन्न नियमों के अंतर्गत विनियम का निर्माण किया जा सकेगा।

22. **निरसन एवं व्यावृतिः–**

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के संबंध में पूर्व के सभी नियम, परिपत्र और निर्णय एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। ऐसा निरसन के होते हुए भी पूर्व के नियमों, परिपत्रों और निर्णय का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस तिथि को लागू थी जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

23. **नियमों का शिथिलीकरणः—**

यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त्तों से संबंधित किसी नियम को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट होता है, तो वह उस मामले में प्रयोज्य और ऐसी शर्त्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह न्यायोचित तथा साम्योचित रीति से मामले का निपटारा करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः यो01/स्था012–14/2013 3247 /यो0वि0,पटना दिनांक 24.06, 2016

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, (ई0 गजट प्रशाखा) बिहार, पटना को "बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 की दो प्रतियाँ हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–14/2013 3247 /यो0वि0,पटना दिनांक 24.06 2016

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–14/2013 3247 /यो0वि0,पटना दिनांक 24.06 2016

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो01/स्था012–14/2013 3247 /यो0वि0,पटना दिनांक 24.06, 2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव